



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 वैशाख 1942 (श0)
(सं0 पटना 313) पटना, बुधवार, 20 मई 2020

सं0का0 1/वि0मं0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05-06/2017-290
संसदीय कार्य विभाग

संकल्प

19 मई 2020

विषय : कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, राज्य के माननीय मंत्रियों एवं विधान मंडल के माननीय सदस्यों के वेतन का 15 प्रतिशत की दर से अगले एक वर्ष तक कटौती करने एवं उक्त राशि को "कोरोना उन्मूलन कोष" में देने के संबंध में।

कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, राज्य के माननीय मंत्रियों एवं विधान मंडल के माननीय सदस्यों के वेतन का 15 प्रतिशत अगले एक वर्ष तक कटौती करने एवं उक्त राशि को कोरोना उन्मूलन कोष में देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2. उक्त निर्णय के आलोक में दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक माननीय मुख्यमंत्री, राज्य के माननीय मंत्रियों एवं विधान मंडल के माननीय सदस्यों के वेतन से पंद्रह प्रतिशत प्रति माह की दर से कटौती कर स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा गठित "कोरोना उन्मूलन कोष" में जमा किया जायेगा। उक्त कटौती की गयी राशि को यथास्थिति उनके भुगतान किये जाने वाले कार्यालय/विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत संधारित "कोरोना उन्मूलन कोष" में देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री कृष्णापुरी, पटना शाखा के खाता संख्या-18630100020837, IFSC Code-BARBOSRIKRI में जमा किया जायेगा, जिसका CFMS Payee ID संख्या-PT459827 है।

3. यह निर्णय दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक प्रभावी होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्रा,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 313-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>